



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(मध्यप्रदेश राज्य विधानसभा के अधिसूचना क्रमांक 96 सन् 1983 द्वारा स्थापित)

बिलासपुर, दिनांक : 06/11/07

क्रमांक 2007/स्था./प्रशा./2007

आदेश

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2002 की धारा 49 के प्रावधानानुसार गठित चयन समिति की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 05.11.2007 के विषय क्रमांक-05 के निर्णयानुसार श्री संवित पायी की नियुक्ति निम्न शर्तों पर विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के शिक्षा विभाग के व्याख्याता (अनारक्षित) के पद पर वेतनमान रुपये 8000-13500/- में दो वर्ष की परीक्षा पर (जो विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत चने परिचयन के अनुसार आगे बढ़ाई जा सकती है) कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से की जाती है।

कार्यभार ग्रहण की अवधि के लिये वेतन/यात्रा भत्ता आदि नहीं दिया जावेगा। वेतनमान के साथ समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते देय होंगे।

यदि परीक्षावधि में कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया अथवा विश्वविद्यालय को इनकी सेवाओं की आवश्यकता न हो तो एक माह की पूर्व सूचना या एक माह का वेतन देकर सेवा से पृथक किया जा सकता है।

इनकी सेवाओं, आचरण संबंधी जीव उपयुक्त एवं अच्छा पाये जाने पर ही वेद होगी।

आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिनों के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना होगा, अथवा नियुक्ति निरस्त करवायी जावेगी। सेवा शर्तें विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत परिचयन 31 एवं अध्यादेश-4 के अंतर्गत स्वीकार्य होंगी।

विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय लिखित रूप से सूचित करना होगा कि उपर्युक्त शर्तें मान्य हैं। उपर्युक्त शर्तों में किसी प्रकार की कोई शिथिलता प्रदान नहीं की जावेगी। वेतन एवं अन्य शर्तें उपर्युक्त अनुसार होंगी, अन्य कोई शर्त मान्य नहीं होगी। इन नियुक्ति में आरक्षण सेक्टर का पालन किया गया है।

नियुक्ति पर लगे वक्तव्य तथा पत्राचार सूट से निष्कलीय होगा।

कार्यपरिषद के आदेशानुसार

कुलसचिव

बिलासपुर दिनांक : 06/11/07

पृ० क्रमांक 2007/स्था./प्रशा./2007

प्रतिलिपि :-

01. महामहिल राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनाएं उपस्थित।
02. कुलपति कुलसचिव के सचिव निज सहायक को कुलपति जी/कुलसचिव जी के अवलोकनार्थ।
03. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
04. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर।
05. आयुक्त, उच्च शिक्षा, महाविद्यालयीय शिक्षा एवं पेशवा प्रकोष्ठ, विज्ञान महाविद्यालय परिसर, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
06. विभागाध्यक्ष, शिक्षा विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनाार्थ।
07. निजसचिवारी सहायक संचालक, आरक्षण विधि परीक्षा, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यकारी हेतु।
08. श्री संवित पायी, At-Tentugan, P.O. Anla via Jaggura Distt. Mayurbhanj, Orissa-757052 को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिनों के अन्दर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करने के लिये सूचना के साथ ही आवश्यक परीक्षा, आयु, जाति, पात्रता तथा शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ कार्यभार ग्रहण करते समय परीक्षण हेतु प्रस्तुत करें। कार्यभार ग्रहण करने से 07 दिनों के अन्दर सेवा अनुबंध में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।
09. निजी नरती।

उप-कुलसचिव (प्रशा./स्था.)